

बिहार सरकार  
कृषि विभाग .

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-14/2013-

167 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-10-2013

IAIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

विषय :

कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री विधि तथा जीरो टिलेज विधि के प्रत्यक्ष एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजनान्तर्गत 3034.375 लाख रुपये (तीस करोड़ चौतीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 485.50 लाख रु० (चार करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹4,85,50,000 (चार करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5073 दिनांक 10.10.2013 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री विधि तथा जीरो टिलेज विधि के प्रत्यक्ष एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजनान्तर्गत 3034.375 लाख रुपये (तीस करोड़ चौतीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 485.50 लाख रु० (चार करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹4,85,50,000 (चार करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹4,85,50,000 (चार करोड़ पचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-1, उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401007890106 राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR-50 22 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 1896.64 लाख रुपये में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाज



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक


167 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

167 (आवटन)

/क०, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार), बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति रा०कृ०वि०वि०, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/उप कृषि निदेशक, (बीज), बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रयोजना निदेशक (आत्मा)/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 18/10/13

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

167 (आवटन)

/क०, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सूचना

(15) 18/10/13

सरकार के संयुक्त सचिव।